



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-19-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अशोक यादव को मारपीट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष की सजा व कुल- 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- सी-02/1994 धारा-323,452,504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक यादव पुत्र स्व0 विश्वनाथ यादव निवासी सी-65/296 बड़ी पियरी थाना चौक वाराणसी को थाना-चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 19-04-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 323 में 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 500 रुपये के अर्थदण्ड, धारा-452 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड व धारा 504 भादवि में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी